न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 02/2017

प्रार्थी	बनाम्	**अप्रार्थीगण**
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर		1. पीराराम पुत्र गोरधन राम जाति प्रजापत निवासी गोल हाल निवासी जीरो नं0 फाटक के पास, बालोतरा जिला बाड़मेर (मैं.श्रीयादे किराणा स्टोर पचपदरा रोड़ बालोतरा जिला बाड़मेर का मुनीम) 2. बांकाराम पुत्र गोरधन राम जाति प्रजापत निवासी गोल हाल निवासी जीरो नं0 फाटक के पास बालोतरा जिला बाड़मेर (राज.) (मै.श्रीयादे किराणा स्टोर पचपदरा रोड़ बालोतरा जिला बाड़मेर का मालिक) 3. दौलत राज जैन पुत्र सम्पतराज जैन जाति जैन निवासी महामंन्दिर रेल्वे स्टेशन के पिछे, जोधपुर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर
2. .अप्रार्थी संख्या 01 से 03 स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांक 17.05.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.5.2015 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन द्वारा मैसर्स श्रीयादे किराणा स्टोर पचपदरा रोड़ बालोतरा जिला बाड़मेर दोपहर 12.30 बजे पहुँचने पर दुकान पर एक व्यक्ति बैठा मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम पीराराम पुत्र गोरधन राम जाति प्रजापत निवासी गोल हाल निवासी जीरो नं0 फाटक के पास, बालोतरा जिला बाड़मेर बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स श्रीयादे किराणा स्टोर पचपदरा रोड़ बालोतरा का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य खाध सामग्री के साथ चाय ब्राण्ड

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़

दौलतराज 7 टी (250 ग्राम पैकिंग) 30 पैकेट में पाई गई। जिसमें मिलावट होने का संदेह होने पर 250–250 ग्राम पैकिंग के कुल आठ पैकेट सीलबंद कय कर, कीमत मौके पर मालिक विक्रेता को 480/– रूपये अदा की गयी। इन पैकेटो को प्लास्टिक कन्टेनर में डालकर उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा इसके उपर लेबल चिपकाया जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी 529 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किऐ, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहों ने पेपर स्लीप को कॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही रूबरू दो गवाहो के की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.529 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूने का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पेय पदार्थ चाय ब्रांड दौलतराज 7 टी (250 ग्राम पैकिंग) नमूना पी.529 की जॉच रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा जेब जोधुपर द्वारा क्रमांक एलएस/403/एक्ट/2015/402 दिनांक 12.6.2015 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई। उक्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जॉच में चाय ब्राण्ड दौलतराज 7 टी (250 ग्राम पैकिंग) का नमूना मिसब्रान्ड (misbranded) पाया गया। प्रकरण में खाध पेय पदार्थ चाय ब्राण्ड दौलतराज 7 टी (250 ग्राम पैकिंग) मिसब्रान्ड (misbranded) का विकय करने के फलस्वरूप खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उल्लंघन पाये जाने के कारण प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 529 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 स्वयं उपस्थित हुए।

3. अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए कम से कम शास्ति आरोपित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

4. सहायक लोक अभियोजक प्रथम द्वारा बहस के दौरान् तर्क किया कि दिनांक 18.05.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा मैसर्स श्रीयादे किराणा स्टोर पचपदरा रोड़ बालोतरा पहुॅचने पर दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान् दुकान में अन्य किराणा सामग्री के साथ चाय ब्रान्ड दौलतराज 7 टी (250 ग्राम पैकिंग) 30 पैकेटों में पाई गई। उक्त चाय में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार नमूना लिया जाकर, खाद्य विश्लेषक जोधपुर से जांच करवाई गई। जांच में चाय ब्रान्ड दौलतराज 7 टी (250 ग्राम पैकिंग) का नमूना पी–529 पैकेट पर निर्माण की तिथि अंकित नहीं होने से मिसब्रान्ड (misbranded) पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन है। इसलिये अप्राथीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

5. हमने दोनो पक्षो को सुना। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/ 403/ एक्ट/ 2015 /402 दिनांक 12.6.2015 का अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा बेची जा रही चाय ब्रान्ड दौलतराज 7 टी (250 ग्राम पैकिंग) का नमूना मिसब्रान्ड (misbranded) पाया गया। मिसब्रान्ड (misbranded) चाय का विक्रय करने के कारण अप्रार्थी संख्या 02 व 03 दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत चाय ब्रान्ड दौलतराज 7 टी (250 ग्राम) मिसब्रान्ड (misbranded) पदार्थ विक्रय करने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिसब्रान्ड (misbranded) पदार्थ

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान मे रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहतं अभियुक्त बांकाराम पर रूपये 8,000/– एवं दौलतराज पर रूपये 15000/– की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 17.5.2017 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 17.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

बांकाराम